राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांकः प.5(8)प्रा.शि/2016 जयपुर,दिनांकः 3 JUN 2017

1. **राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।**
2. **आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।**
3. **निदेशक, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।**
4. **जिला कलक्टर, समस्त**
5. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।**

विषयः– अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का रिक्त पदों वाले विद्यालयों में समायोजन/पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा के प्रावि/उप्रावि के मावि/उमावि में समन्वयन से समन्वित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं कार्मिक, जिनका वेतन प्रारम्भिक शिक्षा/पंचायती राज विभाग से आहरित किया जा रहा है (शाला दर्पण के 3–बी में दर्ज शिक्षक/कार्मिक), के माध्यमिक शिक्षा में समायोजन/पदस्थापन हेतु शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग द्वारा पत्रांक प. 17(2)शिक्षा–2/2003 दिनांक 24.05.2017 से निर्देश जारी किये गये है। तद्नुसार माध्यमिक शिक्षा में समायोजित कार्मिकों के समायोजन/पदस्थापन की कार्यवाही दिनांक 05.06.2017 तक पूर्ण की जावेगी। माध्यमिक शिक्षा में समायोजन उपरांत शेष अधिशेष शिक्षकों/कार्मिकों को पदस्थापन हेतु प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किया जावेगा।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में भी विद्यालयों के समन्वयन एवं अन्य कारणों से शिक्षक/कार्मिक वर्तमान में अधिशेष है, जिनका विवरण शाला दर्शन पोर्टल पर उपलब्ध है।

उक्त दोनों प्रकार से अधिशेष हुये शिक्षकों/कार्मिकों का समायोजन/पदस्थापन प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में काउसंलिंग के माध्यम से किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :

1. अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का रिक्त पदों वाले विद्यालयों में समायोजन/पदस्थापन प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश प. 5 (8)/प्राशि/2016 दिनांक 21.04.2016, 24.06.2016 एवं 06.07.2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

2. यदि ब्लॉक में रिक्त पद सीमित हो तो महिलाओं एवं दिव्यांगों को उक्त ब्लॉक के निकटस्थ ब्लॉक में ग्रामीण क्षेत्र के रिक्त पद चुनने का अवसर दिया जा सकता है।

3. अधिशेष शिक्षकों/कार्मिकों के समायोजन/पदस्थापन हेतु काउंसलिंग कैम्प (परामर्श शिविर) दिनांक **12.06.2017** से **17.06.2017** तक आयोजित किये जाकर, समायोजन/पदस्थापन आदेश दिनांक **22.06.2017** तक आवश्यक रूप से जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

www.rajteachers.com

4. यह सुनिश्चित किया जावें कि अधिशेष कार्मिकों/शिक्षकों के समायोजन/पदस्थापन की कार्यवाही के पश्चात् एक भी कार्मिक/शिक्षक अधिशेष नहीं रहे।

5. काउंसलिंग प्रक्रिया में उक्त प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें। यदि किसी भी स्तर पर प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया तो सम्बन्धित के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

ह०/-
3/6/17

(घनश्याम लाल शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग।
8. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग।
9. उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
11. रक्षित पत्रावली।

ह०/-

शासन उप सचिव

www.rajteachers.com